



2026:AHC:129660

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21880 वर्ष 2026

शाहबान उर्फ शाबान उर्फ छोटू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

अलाउद्दीन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

फखरुद्दीन, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री फखरुद्दीन को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 82 वर्ष 2026, धारा 137(2), 87, 64(2) बी.एन.एस. तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाँक्सो) अधिनियम की धारा 5एल/6, थाना - डुमरियागंज, जिला - सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक और पीड़िता प्रेम संबंध में थे। आवेदक ने न तो पीड़िता का अपहरण किया और न ही उसके साथ दुष्कर्म किया। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक और पीड़िता के परिवारों ने उनके संबंध को आशीर्वाद देने का फैसला किया है, और पक्षों द्वारा शीघ्र ही विवाह संपन्न कराए जाने की संभावना है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है, जिन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों परिवार आवेदक और पीड़िता का विवाह संपन्न कराने के लिए तैयार हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि पीड़िता लगभग 17 वर्ष की नाबालिग है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कथित अपराध शमनीय नहीं हैं, और केवल इसलिए कि आवेदक और पीड़िता अब एक-दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं, आवेदक का आपराधिक दायित्व समाप्त नहीं होगा। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

7. बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता सहमति से बने संबंध में थे। पीड़िता ने बयान दिया है कि वह आवेदक के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी और वह उससे शादी करना चाहती है। पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह अब तय हो चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 30.05.2026 से जेल में है।

8. यद्यपि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां कानूनी रूप से वैध हैं, किंतु जमानत आवेदन पर विचार करते समय, यह अदालत पाती है कि पीड़िता बालिग होने की कगार पर थी, लगभग 17 वर्ष की आयु होने के कारण, और दोनों परिवारों ने अब आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह संपन्न कराने का निर्णय लिया है। इन परिस्थितियों में, और मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह अदालत आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझती है।

9. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. अभियुक्त-आवेदक **शाहबान उर्फ शाबान उर्फ छोटू**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित अदालत के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण अदालत द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी गई हो।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनबद्धता के साथ सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

13. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगी।

14. यहाँ की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोषों पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

कुशल